न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 149/2024

निर्णय दिनांक 14.11.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/313

मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कन्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट सपठित धारा 88 आरटीए</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् जी प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी ग्राम कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं । प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 413 क्षेत्रफल 13.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 4.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खसरा नम्बर 319 क्षेत्रफल 2.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम कल्याणसर व खसरा नम्बर 19 क्षेत्रफल 11.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। खसरा नम्बर 413 व 86 रोही ग्राम बापेऊ के पुराने खसरा नम्बर क्रमशः 323 व 65 मिन थे तथा खसरा नम्बर 319 रोही कल्याणसर के पुराने खसरा नम्बर 271 थे तथा खेत खसरा नम्बर 19 रोही बापेऊ पुरोहितान के पुराने खसरा नम्बर 16 थे। प्रार्थी की वादगत खेत खसरान की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के भाईयों के साथ संयुक्त चली आ रही थी। वर्णित खेत खसरान की भूमि प्रार्थी को भाई बंटवारा में प्राप्त हुई हैं। उक्त बंटवारा के पश्चात वादगत खेत खसरा नम्बर 413 व 86 रोही ग्राम बापेऊ का नया खाता कायम किया गया तब राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पता "मोडूराम पुत्र बेगाराम कौम जाट साकिन कल्याणसर खातेदार" दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में "मोडूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट सा. कल्याणसर खातेदार" दर्ज चला आ रहा हैं एवं इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 319 रोही ग्राम कल्याणसर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पता "मोडू वल्द बेगा कौम जाट साकिन कल्याणसर" दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में "मोडू पुत्र बेगा जाति जाट सा. कल्याणसर नया खातेदार" दर्ज चला आ रहा है एवं इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 19 रोही ग्राम बापेऊ पुरोहितान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पता "मोडा पि0 [illegible] कल्याणसर खातेदार" दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में "मो[illegible] बेगाराम जाति जाट साकिन

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कल्याणसर खातेदार'' दर्ज चला आ रहा है।उवादगत खेतों में दर्ज प्रार्थी का नाम पता ''मोड़ूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट सा. कल्याणसर खातेदार'' व ''मोड़ू पुत्र बेगा जाति जाट सा. कल्याणसर नया खातेदार'' व ''मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन कल्याणसर खातेदार'' गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम पता ''मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया खातेदार'' हैं जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में तथा प्रार्थी की खातेदारी के अन्य खेत खसरा नम्बर 177 क्षेत्रफल 4.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 क्षेत्रफल 4.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 क्षेत्रफल 5.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं जिनमें प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम पता ''मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया खातेदार'' दर्ज अंकित चला आ रहा है। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पता अलग अलग अशुद्ध दर्ज चला आ रहा होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में व अन्य अनेक प्रकार की कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना वास्तविक व शुद्ध नाम पता ''मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया खातेदार'' दर्ज करवाना चाहता हैं । प्रार्थी वादगत खेतों का काबिज काश्त खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पता शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है । वादगत खेतों की कृषि भूमि पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 बैंक से ऋण ले रखा हैं इसलिए अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं । अप्रार्थी संख्या 2 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पता शुद्ध अंकित करने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम पता शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है । प्रार्थी ग्राम कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं एवं वादगत खेत तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खसरा नम्बर 413 क्षेत्रफल 13.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 4.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खसरा नम्बर 319 क्षेत्रफल 2.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम कल्याणसर, खसरा नम्बर 19 क्षेत्रफल 11.910 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम पते की जगह ''मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया खातेदार'' दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें । अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर ... जाकर अप्रार्थीगणको जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 जरिये ... उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकार... बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार ... किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आदेश

खेत खसरा नम्बर 413 क्षैत्रफल 13.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 4.8000 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खसरा नम्बर 319 क्षेत्रफल 2.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम कल्याणसर, खसरा नम्बर 19 क्षेत्रफल 11.910 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम पते के स्थान पर शुद्ध नाम पता ''मोडाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया खातेदार'' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested